Volume : 2 | Issue : 3 | Mar 2013 • ISSN No 2277 - 8179

Research Paper

Changing Dimensions of Hindu Marriage

हिन्दु विवाह के बदलते प्रतिमान

Social Science

KEYWORDS : Live in Relationship, working Girls Group Marriage, Elite, Love marriage, Owner Killing.

Dr. Shyam S. Kumawat Lecturer in Sociology, Govt. Meera Girls College, Udaipur (Raj.) 313001.

ABSTRACT

२१वीं सदी अपने साथ परिवर्तन एवं विकास को लेकर आई हैं। गत ५० वर्षों से नगरीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और सूचना तकनीकी के कारण हुए बदलावों का प्रभाव समाज की सभी प्राथमिक एवं द्वैतियक संस्थाओं पर देखा जा सकता है। परिवार, जाति, विवाह, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति हमारी आधारभूत सामाजिक संस्थायें हैं। जब इनमें आधारभूत परिवर्तन होते हैं तो सामजिक संरचना का स्वरुप भी बदलने लगता है। यह प्रपत्र हिन्दू समाज में विवाह के बदलते प्रतिमानों पर केन्द्रित हैं। विवाह भारतीय समाज की वह प्रमुख संस्था हैं जो विश्व में भारत को एक पृथक पहचान प्रदान करती हैं। आज यह संस्था परिवर्तन के दौर में हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियायें इसके मौलिक स्वरूप पर निरन्तर प्रहार करके इसे परिवर्तित एवं प्रभावित कर रही हैं। यह प्रपत्र गहन अवलोकन एवं प्राथमिक तथ्य सामग्री के आधार पर लिखा गया हैं। यह हमें आधुनिकता एवं जड□तावादी द्वन्द के भंवर में फंसे भारतीय समाज के बारे में यह सोचने पर मजबूर करता हैं कि इस भौतिकवादी संस्कृति में हम अपनी विवाह संस्था को कौनसी दिशा प्रदान करने जा रहे हैं।

सार संक्षिप्त ै;नउउंतलद्ध

हिन्दुओं में विवाह संस्था का सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट स्थान हैं तथा यह विश्व के अन्य समाजों में पाये जाने वाले विवाहों से भिन्नता लिए हुए हैं। हिन्दुओं में विवाह को एक धार्मिक सं. स्कार के रूप में स्वीकार किया गया हैं परन्तु विभिन्न सामाजिक विधानों के व्यापक प्रभाव से अब यह स्त्री-पुरूष के बीच कानूनी समझौता बन गया हैं। आज विवाह की अनिवार्यता भी समाप्त हो रही है और कई स्त्री-पुरूष अविवाहित रहने लगे हैं वहीं दूसरी ओर 'लिव-इन-रिलेशनशिप' अर्थात् 'बिन फेरे हम तेरे' का रिवाज दिनोदिन बढ रहा हैं। नई पीढी के लिए रिश्तों के मायने बदल रहे हैं, वे अपने फैसले स्वयं ले रहे हैं। रंग रूप आउटडेटेड हो गए हैं, आज युवाओं को ऐसा जीवन साथी चाहिए जो हर मोर्चे पर उसके साथ हमकदम हो। कुंडली की जगह अब करियॅर ने ले ली है ओर गृहकार्य में दक्ष कन्या की जगह वर्किंग गर्ल ने। अब सपने शादी के कारण पीछे नहीं छूटते। जाति-समाज में जागरूकता बढने से सामूहिक विवाह का प्रचलन बढ रहा हैं तो इससे भी एक कदम ऊपर उठकर 'सर्वजाति सामूहिक विवाह' की आवश्यकता भी बलवती हो रही हैं। बढती महंगाई के इस दौर में गरीब एवं मध्यम वर्ग अपने जाति समाज को ऊपर उठाने के लिए इसे समय की मजबूरी मान रहे हैं वहीं देश के उच्च अभिजात वर्ग एवं नव धनाढ्य वर्ग अपने बच्चों की शादियों को शाही शादियों का रूप देकर दिखावे में करोडों रूपये फूंक रहे हैं। प्रेम विवाह फल-फूल रहे हैं जिन पर देर-सबेर माता-पिताओं की सहमति की मोहर भी लग रही है वहीं हरियाणा प्रान्त के पुरातनपंथी समाज में 'इज्जत के खातिर हत्या में' (ॡमत ञ्पससपदह) भी खूब हो रही है जिसमें परिवार के लोग समाज में लोक-लाज के भय से अपने उन विवाहित बच्चों की हत्या कर देते हैं जिन्होनें प्रेम विवाह किया हैं।

''हिन्दू विवाह के बदलते प्रतिमान''

हिन्दुओं में विवाह संस्था का सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट स्थान हैं तथा यह विश्व के अन्य समाजों में पाये जाने वाले विवाहों से भिन्नता लिए हुए हैं। हिन्दुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया हैं। विवाह के द्वारा एक व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता हैं जो अन्य सभी आश्रमों का मूल हैं। हिन्दुओं में चार पुरूषार्थ-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवस्था की गई है, जिनकी पूर्ति गृहस्थाश्रम में ही सम्भव है। इसी प्रकार से हिन्दुओं में प्रत्येक व्यक्ति पर तीन ऋण- पितृ ऋण, देव ऋण एवं ऋषि ऋण चुकाने का भार माना गया है। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए विवाह करके संतानोत्पत्ति करना आवश्यक माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि पति-पत्नी एवं बच्चों से युक्त मानव ही पूर्ण मानव है। वेदों में अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना गया है। धार्मिक दृष्टि से वह अपूर्ण है और संस्कारों में भाग लेने योग्य नहीं है। विवाह करके सन्तान के माध्यम से ही व्यक्ति अपने को अमर बनाता है।

विवाह का शाब्दिक अर्थ है, 'उद्वह' अर्थात् वधू को वर के घर ले जाना। मनुस्मृति (३/२०)। वेस्टर मार्क (१९२५) के अनुसार ''विवाह को एक या अधिक पुरूषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह सम्बन्ध कहकर परिभाषित किया जा सकता है जो प्रथा अथवा कानून के द्वारा मान्य होता है और जिसमें विवाह से सम्बन्धित दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों के अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का समावेश होता है।'' बोगाडर्स (१९५४) के अनुसार 'विवाह स्त्री और पुरूष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है।'' स्पष्ट है कि विवाह दो विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक अथवा कानूनी स्वीकृति है। स्त्री-पुरूषों एवं बच्चों की विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में सहगामी बनाना, सन्तानोत्पत्ति करना, उनका लालन पालन एवं समाजीकरण करना, विवाह के प्रमुख कार्य हैं। विवाह के परिणामस्वरूप माता-पिता एवं बच्चों के बीच अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होता है।

हिन्दू विवाह- एक संस्कार: हिन्दु विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा (सन्तान) तथा रति (आनन्द) बताये गए हैं। यद्यपि काम अथवा यौन-सम्बन्ध विवाह का एक कार्य हैं, किन्तु इसे तीसरा स्थान दिया गया है। इससे यह स्पष्ट हैं कि यह विवाह का अत्यन्त ही कम वांछनीय उद्देश्य है। हिन्दू विवाह एक संस्कार हैं। अपने जीवन में हिन्दू पुरूष अनेक संस्कारों को करते हुए आगे बढता है। ये गर्भाधान से आरम्भ होकर शरीर के दाह-संस्कार में समाप्त होते हैं। इसी प्रकार विवाह स्त्री के लिए अत्यन्त आवश्यक समझा गया, क्योंकि यहीं एक संस्कार हैं जो उसके लिए किया जाता है।

चूंकि विवाह पवित्र कार्य बतलाया गया है, इसलिए यह अटल है। विवाह करने वाले वर-वधू में से कोई भी अपनी इच्छा से इसका विच्छेद नहीं कर सकते। उनमें से किसी भी एक की मृत्यु तक वे एक-दूसरे से बंधे हुए हैं और पत्नी तो अपने पति से मृत्यु के बाद भी बंधी हुई मानी जाती है। विवाह की यह भावना कि यह अविच्छेद हैं, बहुत ऊँची है, क्योंकि इसका अर्थ यही होता है कि मतभेद होने पर एक-दूसरे से अलग होने के स्थान पर वे अपनी-अपनी रूचि, स्वभाव, आदर्श तथा हितों को एक-दूसरे के अनुकूल बनावें। कापडिया (१९६३)

हिन्दू विवाह के संस्थागत रूपांतरण:

समय-समय पर हिन्दु विवाह से सम्बन्धित अनेक अधिनियम पारित किये गये हैं जिनमें, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम १८५६, बाल-विवाह निरोधक अधिनियम १९२९, हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५, दहेज निरोधक अधिनियम १९२९, आदि। इन सामाजिक विधानों का हिन्दू विवाह पर व्यापक प्रभाव पडा है, जिसके तहत हिन्दू विवाह अब धार्मिक संस्कार नहीं हे बल्कि अब यह स्त्री-पुरूष के बीच कानूनी समझौता बन गया है। विवाह सम्बन्धी निषेधों में भी अन्तर आया है, वर्तमान में अन्तर्जातीय विवाहों को वैधानिक स्वीकृति मिल गयी है, इससे विवहा का क्षेत्र विस्तृत हुआ है। अब दोनों ही पक्षों को विशिष्ट परिस्थितियों में तलाक देने की सुविधा प्रदान की है। अब कोई भी पक्ष विवाह-साथी के जीवित रहते हुए बिना तलाक दिये दूसरा विवाह नहीं कर सकता। विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति प्रदान कर उनके साथ सामाजिक न्याय एवं मानवीय व्यवहार किया गया है। वर की आयु २१ वर्ष एवं वधु की आयु १८ वर्ष तय करके बाल विवाह की प्रतिबन्धित किया गया है। कानूनी रूप से दहेज पर प्रतिबन्ध लागू है। विवाह की अनिवार्यता भी समाप्त हो रही है और कई स्त्री-पुरूष अविवाहित रहने लगे हैं। इससे बेमेल विवाह भी समाप्त हो गये हैं। प्रेम पर आधारित विवाह होने लगे हैं, जिन्हें माता-पिता की सहमति भी प्राप्त होने लगी है। अब अन्तर्जातीय एवं अन्तधार्मिक विवाह भी होने लगे हैं। सभी जातियों में सामूहिक विवाह भी होने लगे हैं जिससे गरीब परिवारों की आर्थिक रक्षा होती है, दहेज प्रथा पर लगाम लगती है, अनावश्यक खर्चे नहीं होते एवं समाज आगे बढता हैं। पत्नी अब पति की सहचरी, मित्र एवं साथी मानी जाने लगी है। परिवार एवं समाज में उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है।

रूपांतरण के विविध पक्ष: नई पीढी के लिए रिश्तों के मायने बदल रहे हैं। वे अपने फैसले स्वयं ले रहे हैं। यद्यपि माता-पिता की मर्जी का भी ख्याल हैं। उन्हें ऐसा जीवन साथी चाहिए जो हर मोर्चे पर उसके साथ हमदकम हो। मामला घर का हो या कामकाजी। रंग-रूप आउटडेटेड हो गए हैं। चार अंकों की आय ने लाखों के पैकेज की शक्त ले ली है। कुण्डली की जगह अब करियर ने ले ली हैं और गृहकार्य में दक्ष कन्या की जगह वर्किंग गर्ल ने। अब सपने शादी के कारण पीछे नहीं छुटते। परम्पराओं के गढ राजस्थान में फेरों के तुरन्त बाद लडकी परीक्षा देने पहुंच जाती है, दूसरी और २१ वर्ष की लडकी डिलेवरी के तुरन्त बाद परीक्षा देती है। शादी युवाओं को आगे बढने से नहीं रोक रही। अब शादियाँ, करियर को ध्यान में रखकर निर्धारित होने लगी है। पुरानी परम्पराओं और आधुनिकता में समन्वय भी देखा जा सकता है जो हमें जडों से जोडे हुए हैं। दैनिक भाष्कर (२०१२)।

प्रेम विवाह, परिवार एवं समाज: आज के पढे-लिखे युवा वर्ग में प्रेम विवाह भी काफी देखने को मिलते हैं, उदयपुर में एक ब्राह्मण परिवार के लडके ने साहू परिवार की लडकी से जोधपुर में जाकर विवाह किया और विवाह पश्चात् वापस उदयपुर आकर अपने पिता के साथ रहने लगा, इसी परिवार की लडकी ने जैने लडके से विवाह किया लेकिन दोनों ही बच्चों ने तीन महीने तक अपने परिवार को अपने विवाह की भनक तक नहीं लगने दी। माता-पिता को जब बताया गया तो वे अपने को असहाय समझने लगे, उनके लिए यह समझ पाना बहुत ही मुश्किल था कि जो बच्चे उनसे छोटी से छोटी बात के लिए सलाह लेते थे, पूछकर करते थे, उन्होनें अपने जीवन का अहम् कार्य उनसे बिना पूछे कैसे कर लिया। बाद में माता-पिता बच्चों की इच्छा के आगे नतमस्तक हुए और एक स्नेहभोज करके समाज को आशीर्वाद प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया।

शिक्षा, संचार एवं स्वतंत्रता के बढते प्रभावों ने आज की युवा पीढी को अपने निर्णय स्वयं लेने की भावना में वृद्धि की है। युवावस्था में प्रेम सम्बन्ध होना दो विषम लिंगियों में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। युवा इस प्रेम-सम्बन्ध को शीघ्रातीशीघ्र विवाह सम्बन्ध में परिवर्तित करने की इच्छा भी रखते हैं, साथ ही उन्हें यह डर भी निरन्तर बना रहत हैं कि उनके माता-पिता उन्हें इस विवाह की अनुमति नहीं देगें, इस कारण से वे अनेक बार भागकर, छिपकर विवाह कर लेते हैं। कुछ दिनों एवं महीनों के बाद पता चलने पर माता-पिता के समक्ष दो रास्ते होते हैं- या तो वे बच्चों के विवाह को स्वीकार करें या अस्वीकार करें। स्वीकारोक्ति में प्रारम्भ में थोडा गुस्सा एवं सामाजिक निन्दा का भय रहता है, लेकिन बच्चों की खुशी को सर्वोपरी मानकर इस छद्म विवाह को परिवार की स्वीकृति मिल जाती हैं। समस्या दूसरी स्थिति में उत्पन्न होती है और नव दम्पत्ति को माता-पिता के संरक्षण से वंचित रहना पडता है, इसका विभत्स रूप हरियाणा जैसे पुरातनपंथी समाज में 'इज्जत के खातिर हत्या' (ॡमत ञ्पससपदह) के रूप में देखा जाता है जिसमें परिवार के लोग समाज में लोक-लज्जा के भय से अपने उन बच्चों की हत्या कर देते हैं, जिन्होनें छद्म या प्रेम विवाह किया है। कुछ स्थितियाँ ऐसी भी आती है, जिसमें प्रेम विवाह करने वाले बच्चों के माता-पिता उनसे कोई सामाजिक सरोकार नहीं रखते एवं सम्बन्ध पूरी तरह विच्छेद कर लेते हैं। अब उन दम्पत्ति पर समझ-बूझ की बहुत बडी जिम्मेदारी होती हैं कि वे अपनी गृहस्थ जिन्दगी उचित तरीके से निर्वहन करें, उनके जीवन में यदि कोई खलल या अडचनें आती है तो परिवार की तरफ से उन्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को कौन सहारा देगा। ऐसे परिवार में बिगडी स्थितियों का मार्ग कई बार आत्महत्या की ओर अग्रसित होता है। सामान्यत: अच्छी आर्थिक स्थिति ऐसे परिवार की सुरक्षा प्रदान करती है।

परम्परा और आधुनिकता में हम सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं । हम कुछ मायनों में तो पूरी तरह परम्परावादी रहना चाहते हैं और कुछ में आधुनिक । आधुनिकता को अपनाते समय हम पाश्चात्य जीवन मूल्यों एवं परम्पराओं को भी पूरी तरह अपनाना चाहते हैं, स्वतंत्रता के साथ-साथ स्वछंदता भी चाहते हैं । जब हमारा स्वार्थ सामने आता है तो परम्पराओं को तोडने में नहीं हिचकते हैं और जब हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं तो यह अपेक्षा रखते हैं कि समाज हमें संरक्षण प्रदान करें ।

विवाह के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन: प्रशासन एवं राज्य सरकार के अथक प्रयासों के पश्चात् अभी तक भी अक्षय तृतीया पर राजस्थान में बाल विवाह होते हैं, लेकिन शिक्षा एवं संचार माध्यमों के बढते प्रभाव के कारण इनमें कमी आ रही हैं। २४ अप्रेल २०१२ को लूणी (जोधपुर) की लक्ष्मी (१७)) वर्ष और उससे बाल विवाह करने वाले राकेश ने अपने माता-पिता के सहयोग से कोर्ट जाकर अपना बाल विवाह निरस्त कराया। सुखे-रूखे और आग की तरह तपते रेगिस्तान में यह घटना मीठे पानी की धार फूटने के जैसी है । राजस्थान पत्रिका (२०१२)

लिव-इन रिलेशनशिप: विवाह एक तरह से दूसरा जन्म होता हैं, जहाँ से स्त्री-पुरुष मिलकर नया जीवन शुरू करते हैं । चाहे धर्म-वर्ग कोई भी हो, इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और भावना. त्मक अर्थ एक ही रहा है । पर समय के साथ अब विवाह का अर्थ भी बदलने लगा हैं। लिव-इन रिलेशनशिप, यानी बिना शादी साथ रहने का रिवाज अर्थात् 'बिन फेरे हम तेरे,' दिनोदिन बढ रहा है। यद्यपि अभी यह महानगरों के गिने-चुने लोगों तक ही सीमित है लेकिन फिल्मी उद्योग में खूब फलफूल रहा हैं। अभिनेता कबीर बेदी को इस प्रथा का जनक माना जाता है, जिन्होनें ३ शादियाँ की और दो स्त्रियों के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहे । कबीर बेदी कहते हैं- 'मेरे जीवन में कई स्त्रियाँ आई, पर यह मेरा शौक नहीं था, परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी बनी कि विवाह निभ नहीं पाये । अब सोच ऐसी बन गई है कि रिश्ते पर विवाह की मुहर जरूरी नहीं लगती'' । दैनिक भास्कर (२०११)

नये उभरते उच्च शिक्षित वर्ग में भी ''बिन फेरे हम तेरे' की अवधारणा बढती जा रही है। कई बार मजबूरी के चलते भी लोग इसे अपनाते देखे गये हैं। खासकर महानगरों में छत की खोज में लोग एक ही छत के नीचे आ मिलते हैं। एम.बी.ए., एम.टेक पढा लिखा वर्ग एवं एक साथ काम करने वाले युवा वर्ग में इस उप-प्रथा का तेजी से विस्तार हो रहा है। जिसके वे दो फायदे गिनाते हैं, प्रथम-शादी के खर्चे से बचते हैं, दूसरा- तलाक देने की कानूनी पेचीदगियों में नहीं पडना पडता। लेकिन ऐसे ज्यादातर रिश्ते सम्पत्ति और पैसे के विवाद के चलते एक समय बाद टूट जाते हैं। इसकी अहम वजह यह है कि शुरू में तो दो प्रेमी दिल से सोचते हैं कि 'जो मेरा वो तेरा, पर गुजरते वक्त के साथ उनमें 'तेरा और मेरा' वाली भावना आ जाती है। दूसरी ओर इनके पीछे परिवारों एवं समाज की बिल्कुल भी स्वीकारोक्ति नहीं होती । इसलिए इसे तोडना बहुत ही आसान होता है। इस लिव-इन रिलेशनशिप के टूटने पर बच्चे किसके साथ रहेगें और कौन ऐसा दबाव डालने में समर्थ हैं? इसके लिए कानून ऐसे समझौते को मान्यता प्रदान करने की सोच रहा है ।

शाही शादियाँ, दिखावा एवं फिजुलखर्ची: उदयपुर नगर पर्यटन, पर्यावरण, शालीनता एवं संजी. दगी की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर हैं। यहाँ शाही शादियों की शुरुआत सर्वप्रथम फिल्म अभिनेत्री रविना टंडन ने की थी । अपने विवाह के लिए उन्होनें पूरा सिटी पैलेस (राजमहल) बुक कराया था, जिसका प्रतिदिन का किराया लाखों रूपये थे । इसके पश्चात् उदयपुर में शाही शादियों का सिलसिला ही प्रारम्भ हो गया । देश-विदेश के उच्च धनिक वर्ग, फिल्म उद्योग, राजनेता, उद्योगपति उदयपुर आकर अपने बच्चों के विवाह सिटी पैलेस में करने लगे । इनमें कुछ विवाह तो ऐस भी हुए हैं जिसमें उदयपुर की सभी बडी होटल्स के साथ-साथ जोधपुर एवं जयपुर तक की होटल में मेहमानों को ठहराया जाता हैं, उन्हें लाने-ले जाने के लिए अलग से प्लेन लगाये जाते हैं। ऐसे विवाह की व्यवस्था के लिए दिल्ली, मुम्बई से केटरिंग बुक होती है, विदेशों से फल एवं फूल आते हैं। विवाह में करोडों का खर्चा होता है ।

ऐसी शाही शादियों के दिखावे का असर ग्रामीण क्षेत्रों में उभरते नव धनाढ्य वर्ग में भी दिखाई देने लगा है । फरवरी एवं मार्च २०१२ में उदयपुर के मावली तहसील के पलाना गांव में एक खटीक (अनुसूचित जाति) परिवार ने एवं गोगुन्दा तहसील में एक राजपूत परिवार में दूल्हे घोडी के बजाय हेलिकॉप्टर में बैठकर विवाह करने पहूंचे । इस दिखावा प्रवृत्ति का असर मध्यम वर्ग एवं निम्न मध्यम वर्ग पर भी पड रहा है, जिसमें विवाह का अर्थ प्रतिस्पर्धात्मक रुप में धन की फिजूलखर्ची है ।

सामुहिक विवाह:
सामूहिक विवाह का अर्थ है कि एक जाति समाज के लोग कम खर्चे एवं दिखावे में एक ही स्थान पर अनेक 'विवाह युग्लों' का विवाह सम्पन्न कराते हैं । उदयपुर नगर में सर्वप्रथम सामूहिक विवाह की शुरुआत तेली-साहू समाज ने की । वर्ष १९९० में इस समाज के जागरूक व्यक्तियों ने सोचा कि हमारे गरीब समाज को यदि शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से समृद्ध होना है तो हमें सामूहिक विवाह प्रारम्भ करना चाहिए, और इस समाज में सामूहिक विवाह अनिवार्य कर दिया गया । २२ वर्षों से यह पृथा चलने से पूरा समाज ऊपर उठा । विवाह की बचत को लोगों ने बच्चों की शिक्षा एवं व्यवसाय की उन्नति में लगाया । धीरे-धीरे कुमावत, जैन, ब्राह्मण एवं सभी जाति समाज ने सामुहिक विवाह प्रारम्भ किये और अब तो राजपूत समाज ने भी सामूहिक विवाह प्रथा प्रारम्भ करने का बीडा उठाया हैं और इसमें विधवा बेटियों का भी पुनर्विवाह कराया जायेगा, जो राजपूत समाज में पहले पूर्णतया निषिद्ध था। २०१२ में सांसद किरण माहेश्वरी ने राजसमन्द जिले में यह आह्वान किया कि हमें अलग-अलग जाति समाज के सामूहिक विवाह प्रथा से भी ऊपर उठकर ''सर्वजाति सामुहिक विवाह' को प्रारम्भ करना चाहिए । निश्चित रूप से इस सोच में सामाजिक उन्नति निहित हैं ।

निष्कर्ष:
स्वतंत्र भारत में शिक्षा के प्रसार, रोजगार के नये अवसर, नगरीकरण, बढती व्यावसायिक शिक्षा, सह-शिक्षा, विवाह उत्तरदायित्व और दहेज विरोधी कानूनों के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में स्त्री-पुरूषों की परम्परागत स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। अब स्त्रियाँ नवीन अर्थ व्यवस्था, व्यावसायिक मुख्यधारा और विशिष्ट व्यवसायों जैसे डॉक्टर, इंजिनियर, सी.ए., एम.बी.ए, पत्रकारिता, फिल्म, साहित्य, राजनीति आदि की मुख्यधारा में आ गई है। पश्चिमी देशों की मान्यताओं के प्रभाव, आधुनिक शिक्षा तथा औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप भारत में व्यक्ति की विचारधारा विकसित हुई है, जिसके कारण विवाह संस्था के स्वरूप एवं प्रतिमान भी बदल रहे हैं। सामाजिक विधानों के व्यापक प्रभाव से अब हिन्दू विवाह स्त्री-पुरुष के बीच कानूनी समझौता बन गया है। आज विवाह की अनिवार्यता भी समाप्त हो रही है और कई स्त्री-पुरुष अविवाहित रहने लगे हैं वहीं दूसरी ओर 'लिव-इन-रिलेशनशीप' अर्थात् ' बिन फेरे हम तेरे' का रिवाज दिनोदिन बढ रहा है। नई पीढी के लिए रिश्तों के मायने बदल रहे हैं, वे अपने फैसले स्वयं ले रहे हैं । रंग रूप आउटडेटेड हो गये हैं, आज युवाओं को ऐसा जीवन साथी चाहिए जो हर मोर्चे पर उसके साथ हमकदम हो । दूसरा पक्ष परम्परागत विवाह के स्वरूप में बदलाव का है; जाति समाज में जागरूकता बढने से ''सामुहिक विवाह'' का प्रचलन बढ रहा है तो इससे भी एक कदम ऊपर उठकर ''सर्वजाति सामुहिक विवाह' की आवश्यकता भी बलवती हो रही है । बढती महंगाई के इस दौर में गरीब एवं मध्यम वर्ग अपने जाति समाज को ऊपर उठाने के लिए इसे समय की मजबूरी मान रहे हैं वहीं देश के उच्च अभिजात वर्ग एवं नव मध्यमवर्गीय धनाढ्य वर्ग अपने बच्चों की शादियों को शाही शादियों का रूप देकर दिखावे में करोडों रूपये फूक रहे हैं । प्रेम-विवाह, फल-फूल रहे हैं, जिनपर देर-सवेर माता-पिताओं की सहमति की मोहर भी लग रही है। तीसरा पक्ष अपराध से जुडा है । हरियाणा प्रान्त के पुरातनपंथी समाज में 'इज्जत के खातिर हत्या' (द्धमत झपससपदह) भी खूब हो रही है जिसमें परिवार के लोग अपने जाति-समाज में लोक-लाज की बदनामी के भय से अपने उन विवाहित बच्चों की हत्या कर देते हैं, जिन्होनें छद्म या प्रेम-विवाह किया है ।

भारतीय समाज में विवाह संस्था के ये नये रूपांतरण हमारे समक्ष निम्न प्रश्न प्रस्तुत करते हैं जिनके उत्तर हमें तलाशने हैं:

१. भविष्य में विवाह की परिभाषा क्या होगी ? क्या वर्तमान में स्वीकृत परिभाषाऐं बदल जायेगी ?
२. विवाह से सम्बन्धित स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों में कोई परिवर्तन आयेगा ?
३. जो सामाजिक रीति-रिवाज विवाह संस्कारों के साथ जुडे हुए हैं क्या उनमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन होगा ?
४. क्या विवाह का स्वरूप सामाजिक संस्कार होगा या कानून प्रभावी रहेगा ?
५. भविष्य में विवाह जैसी संस्था के रूपान्तरण के किन स्वरूपों की कल्पना की जा सकती है?

REFERENCE

१. वेस्टरमार्क, ई, '' दी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, '' ३ वोल्यूम, लन्दन, १९२५ द्य २. बोगार्डस, ई.एस., ''समाजशास्त्र'', १९५४ द्य ३. उद्धाहतत्व- तेन भार्यात्व सम्पादक ग्रहण विवाह: । मनुस्मृति, ३/२० द्य ४. के.एम. कापडिया', भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली १९६३, पृष्ठ-१७३-१७४ । द्य ५. दैनिक भास्कर, शादी से नहीं टूटते सपने, उदयपुर जनवरी २०१२ । द्य ६. राजस्थान पत्रिका, उदयपुर २५ अप्रेल २०१२ द्य ७. दैनिक भास्कर, नवरंग, उदयपुर शनिवार १९ नवम्बर २०११